

पत्रावली - 1772-18 दि. 05/12/18

दिनांक

आज्ञा पत्र

4.6.18

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलेंट / रजिस्टर्ड नोटिस  
तैयार करने अधिकारी महोदय को  
पर हैं। अतः पत्रावली को फौजदारी को पेश होकर



20.8.18

17.8.18 को पत्रावली अर्थात्  
नियम 5 की  
तैयारी  
पर हैं। अतः पत्रावली को फौजदारी  
को पेश होकर

1-11-18

पत्रावली पेश करने  
की तैयारी  
रजिस्टर्ड नोटिस  
आदेश  
कर दी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1772-18

पत्रावली पेश। वकील अपीलेंट को पत्रावली पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तारीख से रोज रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी नम्बर  
से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।



पत्रावली अधिकारी एवं  
पत्रावली अधिकारी  
दफतर